फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद
दीवानी वाद संख्या 46/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2024	वकूलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 दिनांकित 3.10.2019 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 दिनांकित 21.10.2019 सुनी गई। इन प्रार्थना पत्रों की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी लालचंद व उसके वारिस महेश दासानी के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में दर्शाये गए वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस होना प्रतिवादीगण ने दर्शित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी लालचंद व प्रतिवादी लालचंद के वारिस महेश दासानी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वारिसान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने मृतक लालचंद व महेश दासानी के मृत्यु प्रमाण पत्र को पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, न ही वारिसान का सही व पूर्ण पता प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रतिवादी लालचंद के वारिसान को रिकार्ड पर लेने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.10.2019 पर विचार करें तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लालचंद का स्वर्गवास 7 जुलाई 2019 को होना बताया है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र विहित समयावधि में दिनांक 03 अक्टूंबर, 2019 को प्रस्तुत किया है। जहां तक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का प्रश्न है, इस संबंध में इस न्यायालय के मत में प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के पास होना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी लालचंद के स्वर्गवास की तिथि में कोई अंतर है तो अप्रार्थीगण के पास यह विकल्प था कि वे इस मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी लालंचद के स्वर्गवास की अन्य कोई तिथि होना अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादीगण द्वारा बताये गये वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस होना अंकित नहीं किया है। परिणामतः	

	हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी लालचंद के वारिसान को 1/1 लगायत 1/6 के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है। अन्य प्रार्थना पत्र बाबत वारिस महेश दासानी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र में महेश दासानी का स्वर्गवास दिनांक 02.10.2019 को होना बताया है एवं इसकी सूचना जरिये अखबार दिनांक 05.10.2019 को होना बताया है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र वादीगण ने विहित समयावधि में दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र वर्णित वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस होना दर्शित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1/2 महेश दासानी के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1/2/1 लगायत 1/2/4 के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है। आदेश सुना गया। वादीगण विहित समयावधि में संशोधित टाइटल व फर्द तलवाना प्रस्तुत करें। संशोधित टाईटल व फर्द तलवाना प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को जरिये समन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक..... को पेश हो। (संदीप आनन्द)	